


12/6/18

पन्नावली आज ईम्प कोर्ट गोयपुरा में पेश हुई।  
 ग्राम गोयपुरा की जमाखंडी सम्यत 2071-74 के  
 ग्रुपि ख. नं. 275, 318 किला-2 का कुल खसबा  
 5.61 ई. रिगत है क वही व जतिवाडी सं. 1 लगा 12  
 की खातेदारी दर्ज रिवाड है। उक्त वर्जित ग्रुपि  
 संयुक्त खातेदारी ग्रुपि है तथा ग्रुपि का विधिवत  
 बंटवारा नही हुआ है चारा 53 के जवधान  
 अनुसार वही एवं जतिवाडी जल रिवाडेंड खातेदार  
 होने के कारण विधिवत विभाजन करवाने  
 के आवेदारी है

आदेश

वाड पक स्वीकार दिया जाता है तथा जयाफिर  
 डिडी इस आशय की ही जारी है कि ग्राम  
 गोयपुरा की सरहद में रिगत ग्रुपि ख. नं  
 275, 318 किला-2 का कुल खसबा 5.61 ई. में  
 वही एवं जतिवाडी नं. 1 लगा 12 के दर्ज रिगत  
 एवं कच्चा के अनुसार खसबे का जवधान  
 रखते हुये विधिवत विभाजन सिधे जाने का  
 आदेश दिया जाता है। तदनुसार तदलीखदार  
 उदरस्थवाडी उमय पक्षकारान की उपस्थिति  
 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मम  
 नम्बरा के दो जतिमों में न्यायालय हाजा के  
 प्रस्तुत करें। डिडी पचा जारी है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लखपुरवाडी (सुपुन)